

भारत सरकार  
श्रम और रोजगार मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 2706  
सोमवार, 17 मार्च, 2025/26 फाल्गुन, 1946, (शक)

ईपीएफ सेवाएं

2706. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) ईपीएफ खाताधारकों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और सेवाओं को बढ़ाने के लिए विशेषकर प्रक्रियाओं को सरल बनाने और प्रसंस्करण समय को कम करने के संदर्भ में, सरकर द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) तेलंगाना राज्य में वर्तमान में कार्यशील ईपीएफ केन्द्रों की संख्या का ब्यौरा क्या है और कौन-कौन सी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं तथा लाभार्थियों की संख्या कितनी है;
- (ग) क्या तेलंगाना में ईपीएफ सेवाओं की समग्र दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा कोई नई पहल या कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री  
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने दावा निपटान की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

- i. अग्रिम दावों की स्वतः मोड प्रोसेसिंग के लिए धनराशि सीमा को बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, बीमारी/अस्पताल में भर्ती अग्रिमों के अलावा, आवास, शिक्षा और विवाह के लिए अग्रिम भी ऑटो मोड प्रोसेसिंग के लिए सक्षम बनाया गया है। अब 60 प्रतिशत अग्रिम दावों को संसाधित किया जाता है जो ऑटो मोड में हैं।  
ऑटो-मोड दावों को तीन दिनों के भीतर संसाधित किया जाता है। ईपीएफओ ने चालू वित वर्ष के दौरान, दिनांक 06.03.2025 की स्थिति के अनुसार 2.16 करोड़ स्वतः दावा निपटान का ऐतिहासिक उच्च स्तर हासिल किया, जो वित वर्ष 2023-24 में 89.52 लाख था।
- ii. सदस्यों के विवरण सुधार की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और आधार-सत्यापित यूएएन वाले सदस्य बिना किसी ईपीएफओ हस्तक्षेप के अपनी आईडी में सुधार कर सकते हैं। वर्तमान में, लगभग 96 प्रतिशत सुधार बिना किसी ईपीएफ कार्यालय के हस्तक्षेप के किए जा रहे हैं।
- iii. किसी क्षेत्रीय कार्यालय में जाए बिना अब 99.31 प्रतिशत से अधिक दावे ऑनलाइन मोड में प्राप्त किए जाते हैं। वित वर्ष 2024-25 में, दिनांक 06.03.2025 की स्थिति के अनुसार ऑनलाइन मोड में 7.14 करोड़ दावे दायर किए गए हैं।
- iv. अंतरण दावा प्रस्तुति (सबमिशन) अनुरोधों में, आधार-सत्यापित यूएएन के नियोक्ता के सत्यापन की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। अब केवल 10 प्रतिशत अंतरण दावों के लिए सदस्य और नियोक्ता के सत्यापन की आवश्यकता होती है।
- v. निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले केवाईसी-अनुपालन यूएएन के लिए दावा फॉर्म के साथ चेक-लीफ जमा करने की आवश्यकता में भी ढील दी गई है।

- vi. ईपीएफओ ने उन सदस्यों को डी-लिंकिंग सुविधाएं भी प्रदान की हैं जिनके ईपीएफ खातों को प्रतिष्ठानों द्वारा गलती से/धोखाधड़ी से जोड़ा गया है। दिनांक 18.01.2025 को इसकी शुरुआत के बाद से, फरवरी, 2025 के अंत तक 55,000 से अधिक सदस्यों ने अपने खातों को डी-लिंक किया है।
- vii. दावों की पात्रता/स्वीकार्यता के बारे में सदस्यों का मार्गदर्शन करने के लिए कतिपय अग्रिम सत्यापन विकसित किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सदस्य अपात्र दावे दायर न करें।
- viii. सीआईटीईएस 2.01 के तहत सदस्य डेटाबेस के केंद्रीकरण के साथ दावा निपटान प्रक्रिया को और सरल बनाया जा रहा है।

ईपीएफओ अपने 8 क्षेत्रीय कार्यालयों और 2 जिला कार्यालयों के माध्यम से तेलंगाना राज्य में अपनी सेवाएं प्रदान करता है। उनकी वर्तमान अंशदायी सदस्यता के साथ कार्यालयों की सूची इस प्रकार है:

क्षेत्रीय कार्यालय/जिला कार्यालय		
क्र.सं.	कार्यालय का नाम	अंशदायी यूएएन
1	क्षेत्रीय कार्यालय, पट्टनंचेरु	3,29,378
2	क्षेत्रीय कार्यालय, कुकटपल्ली	6,81,756
3	क्षेत्रीय कार्यालय, करीमनगर (जिला कार्यालय, आदिलाबाद सहित)	1,26,654
4	क्षेत्रीय कार्यालय, वारंगल (जिला कार्यालय, खम्मम सहित)	1,02,430
5	क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद (बरकतपुरा)	12,14,062
6	क्षेत्रीय कार्यालय, निजामाबाद	4,51,094
7	क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद (मध्यापुर)	19,77,622
8	क्षेत्रीय कार्यालय, सिंडीपेट	27,372

ईपीएफओ द्वारा अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से दी जाने वाली प्रमुख सेवाएं इस प्रकार हैं:

- i. प्रतिष्ठानों और सदस्यों का कवरेज और नामांकन जिसमें ईपीएफ और एमपी अधिनियम और इसके तहत बनाए गए योजनाओं का अनुपालन शामिल है। यह ईसीआर सबमिशन और डिफॉल्ट प्रबंधन सेवाओं के साथ यूएएन-केवाइसी सीडिंग ड्राइव को भी सुविधाजनक बनाता है।
- ii. ईपीएफ दावा निपटान जिसमें प्रमुख जीवन चक्र आवश्यकताओं (जैसे, बीमारी, विवाह, शिक्षा, आवास, बेरोजगारी, महामारी, आदि) के लिए अंतिम निपटान और आंशिक निकासी और सदस्य खातों का अंतरण शामिल है।
- iii. पेंशन दावा निपटान, पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) का जारी करना और पेंशनभोगियों के लिए मासिक पेंशन भुगतान के साथ जीवन प्रमाण पत्र। इसमें अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति, निःशक्तता, उत्तरजीवी, विधवा(विधुर), बच्चों के लिए मासिक लाभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, पात्र सदस्यों को निकासी लाभ/योजनाओं के प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाते हैं।
- iv. मृत्यु के मामलों में नामांकित व्यक्तियों/उत्तरजीवियों द्वारा निकासी (पीएफ निपटान, पेंशन भुगतान, ईडीएलआई बीमा भुगतान)।
- v. शिकायत निवारण तंत्र जिसमें ईपीएफआईजीएमएस और सीपीजीआरएएम शामिल हैं, नए पहलों के लिए जागरूकता उत्पन्न करना। ईपीएफ कार्यालयों द्वारा हर महीने एक समर्पित मासिक जनसंपर्क कार्यक्रम निधि आपके निकट 2.0 भी आयोजित किया जाता है।

- vi. अन्य प्रमुख सेवा क्षेत्र जैसे सदस्य प्रोफाइल सुधार, अंतरराष्ट्रीय कामगारों के लिए कवरेज प्रमाण पत्र जारी करना, विभिन्न सेवाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए सदस्यों/नियोक्ताओं के लिए सुविधा डेस्क, आदि।

जिला कार्यालय संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के समग्र पर्यवेक्षण और निर्देशन के तहत कार्य करता है।

\*\*\*\*\*